

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)
पत्रांक 166 / 14-1 अलीगढ़, दिनांक, दिसम्बर: 12, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

कार्पोरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़-मथुरा रोड (एन0एच0-80) किमी0 05 दायीं पटरी खसरा सं0-30 ग्राम-दौलतादाबाद, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़ में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07595 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग के अनुमति के सम्बन्ध में। (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/26736/2017)

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8बी/यूपी/06/264/2022/एफसी/582 दिनांक 07.10.2022 व आपका पत्रांक 1294/11-सी-FP/UP/Others/26736/2017 दिनांक 08.10.2022 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ का पत्रांक-2149/14-10 दिनांक 02.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयीं आपत्तियों निराकरण कर, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ के पत्रांक-2149/14-10 दिनांक 02.12.2022 से बिन्दुवार वॉच्छित अभिलेख/सूचना संलग्न कर संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो कि संस्तुति सहित निम्न प्रकार 03 प्रति में संलग्न कर प्रेषित है-

क्र0स0	Objection	Reply
1	Revised CA Scheme and related documents for plantation of 152 saplings shall be submitted and uploaded on PARIVESH Portal.	152 पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रतिपूरक वनीकरण की योजना, परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर, संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-1)
2	As per the Google Earth imaginaries dated 13-07-2021, existing trees are visible on the proposed CA land area. This needs clarification	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चिन्हित नये स्थल का संशोधित DGPS मानचित्र एवं टोपोग्रीड संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-2)
3	If the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority then a report with full details of violation, authority responsible for violation etc. shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable.	उल्लंघन के सम्बन्ध में उल्लंघन का कालक्रम, उल्लंघन हेतु दोषी संस्था एवं कार्यवाही का विवरण संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-3)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रबन्धक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 (एम0डी0), मुरादाबाद मंडल कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज के सामने दिल्ली रोड़, एन0एच0-24, पोस्ट पकवाड़ा, मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग अलीगढ़ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रेषित।

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।